सप्तदश बिहार विधान सभा

षष्ठम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03 मंगलवार, दिनांक- 28 जून, 2022 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 11:38 बजे पूर्वाह्न तक ।

[1] प्रश्नकाल :-

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 14 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ ।
(iii) 10 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
(iv) 11 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।
(v) 117 तारांकित प्रश्न अनागत ।

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गये तथा केन्द्र सरकार के अग्निपथ योजना पर विमर्श एवं केन्द्र सरकार को सदन के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजने की मांग करने लगे ।

आसन द्वारा कहा गया कि जो सदन का विषय नहीं है उस विषय पर सदन को अव्यवस्थित करना उचित नहीं है । इस तरह सदन का कीमती समय एवं जनता के पैसे को बर्बाद करना अशोभनीय है । सदन में अराजकता फैलाये जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है । आज गया जिले के विभिन्न स्कूलों से आये बच्चे सदन की कार्यवाही देख रहे हैं । आप सभी माननीय सदस्यों को सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए ।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा गया कि सरकार तथा प्रशासनिक पदाधिकारी पूरी मेहनत से प्रश्नों का जवाब तैयार करते हैं इसलिए आप सभी अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें और प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने दें । परन्तु आसन द्वारा माननीय सदस्यों से बार-बार अपने स्थान पर जाने व सदन को चलने देने का अनुरोध करने के बाद भी सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी ।

आसन द्वारा सभी दलीय नेताओं से आग्रह किया गया कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए अध्यक्षीय कक्ष में आप सभी आकर विमर्श करें ।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 12:00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरांत

(12.00 बजे मध्याह्न से 12.17 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[2] **कार्यस्थगन प्रस्ताव :-**

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, श्री अरूण सिंह, श्री सत्यदेव राम, श्री महा नंद सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री सुदामा प्रसाद एवं अजीत शर्मा से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गयी ।

[3] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

1. माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-72, दिनांक 21.02.2022; एस०ओ०-73, दिनांक 17.03.2022; एस०ओ०-74, 75, 76 एवं 77, दिनांक 31.03.2022 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया । यह 30 (तीस) दिनों तक सदन पटल पर रखा रहेगा ।
2. माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री जिवेश कुमार द्वारा बिहार ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र समाज आयोजक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2009; बिहार श्रम लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2014; बिहार श्रम आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग नियमावाली, 2016; बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2017; बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार सचिवालय भोजशाला प्रबंधक संवर्ग नियमावली, 2017; बिहार सचिवालय भोजशाला लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2017 एवं बिहार सचिवालय भोजशाला समूह-'घ' नियमावली, 2017 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
3. माननीय मंत्री, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-95(3) के तहत बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया । यह 14 (चौदह) दिनों तक सदन पटल पर रखा रहेगा ।
4. माननीय सभापति, निवेदन समिति, श्री विनोद नारायण झा द्वारा निवेदन समिति का जल संसाधन विभाग से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन, उद्योग विभाग से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन, पंचायती राज विभाग से संबंधित षष्ठम प्रतिवेदन, गृह विभाग से संबंधित सप्तम प्रतिवेदन, नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित अष्ठम प्रतिवेदन तथा गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित नवम प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[4] **शून्यकाल :-**

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i)	श्री अरूण शंकर प्रसाद	(ii)	श्री विद्या सागर केशरी
(iii)	डॉ० निक्की हेम्ब्रम	(iv)	श्री राम चन्द्र प्रसाद
(v)	श्री मुरारी मोहन झा	(vi)	श्री ललित नारायण मंडल
(vii)	सुश्री श्रेयसी सिंह	(viii)	श्री संजीव चौरसिया

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए ।
आसन ने सदन को सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का आग्रह दलीय नेताओं से किया तथा कहा कि जो विषय सदन का हिस्सा नहीं है उसपर सदन में विमर्श नहीं होगा, न ही उस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा जायेगा और न ही उससे संबंधित कोई भी बात प्रोसिडिंग का हिस्सा बनेगा ।

आसन द्वारा बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने तथा शांति से सदन चलने देने के अनुरोध के बावजूद भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.30 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[5] सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :-

आसन द्वारा कहा गया कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत श्री संजय सरावगी, स०वि०स० से प्राप्त सूचना 'उत्कृष्ट विधान सभा एवं उत्कृष्ट विधायक के स्वरूप निर्धारण संबंधी विषय' पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसपर सदन में विमर्श होगा ।

आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी द्वारा उक्त विषय पर अपना पक्ष रखा गया ।

[6] आसन की घोषणा :-

आसन द्वारा कहा गया कि माननीय सदस्य, श्री राजकुमार सिंह द्वारा यह मामला उठाया गया कि सदन में सदस्यों की कमी है, परन्तु वास्तविकता यह है कि सदन में माननीय सदस्यों की तकनीकी रूप से कोरम पूरा है । परन्तु इस महत्वपूर्ण विषय पर कई माननीय सदस्यों का उपस्थित नहीं रहना दु:खद है । सभी सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए था तभी इस विषय की सार्थकता होती ।

उत्कृष्ट विधायक की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे माननीय विधायक की तस्वीर उभरती है जो सदन के अंदर और बाहर जन समस्याओं के प्रति गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सक्रिय, सकारात्मक, सार्थक और रचनात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करें ।

विधायी कार्यों, सदन की बैठकों, समिति के कार्यों में कार्यनिष्ठा और अभिरूचि के साथ भागीदारी करें । सरकारी योजनाओं का धरातल पर अपेक्षित क्रियान्वयन करा सकें । सार्वजनिक जीवन में सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी आचरण, व्यवहार एवं कार्यशैली का प्रदर्शन करें ।

जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 10वीं लोकसभा (जिसका कार्यकाल 1991 से 1996 तक था) से उत्कृष्ट सांसद का सम्मान दिया जाता है । भारतीय संसदीय समूह द्वारा एक सुनिश्चित मानदंड के आधार पर लोकसभा एवं राज्यसभा के सम्मिलित सदस्यों मे से किन्हीं एक सदस्य को प्रतिवर्ष यह सम्मान दिया जाता है ।

हमारा प्रयास है कि अपने यहाँ भी ऐसी पहल हो । इसके लिए सबकी सहमति से एक व्यवहारिक मानदंड एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित हो । पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता के आधार पर निष्पक्ष रूप से उत्कृष्ट विधायक का चयन हर वर्ष हो सके । यह हमारा प्रयास है । आप सभी से हमारा आग्रह हे कि इस संदर्भ में अपना सुझाव दें ।

बिहार लोकतंत्र की जननी है और इस भूमि से अनेक संदेश जाते रहे हैं और आगे भी इस प्रकार के संदेश को हमलोगों को मिलकर देना चाहिए । ऐसे संदेश की गति रूकेगी नहीं । लोकतंत्र की जननी के रूप में बिहार विश्व को संदेश देता रहा है और आगे भी देता रहेगा । इस विषय पर पुन: सबकी सहमति बनेगी तथा इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे ।

आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी को धन्यवाद दिया गया कि उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण विषय को सदन में विमर्श हेतु प्रस्तुत किया । परन्तु आसन द्वारा दु:खी मन से माननीय सदस्यों की कम उपस्थिति के कारण इस विमर्श को अधूरा ही समाप्त किया गया ।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 56 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-29 जून, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-28.06.2022

पवन कुमार पाण्डेय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।